

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-~~कुम्हारवाड़ा~~ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय संजमग संख्या-~~ ^{NBCC संद एवं कल/कन} के विस्तार हेतु ग्राम-~~कुम्हारवाड़ा~~ थाना संद..... के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति ~~कुम्हारवाड़ा~~ को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, ~~कुम्हारवाड़ा~~ के सदस्यों का हस्ताक्षर

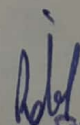
नाम

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

रूप कुमारी
परशुराम चौधरी
अशोक चौधरी
जय राम ठाकुर
नरेश्वर ठाकुर
Ravi Jadar

सरोज कुमार
दिपक कुमार
कंचन दास
कमल कुमार दास
चेतल ठाकुर

Ajay Kumar
Dipak Kumar
श्री परम
देवकी राम
नागदेव ठाकुर
मंजु देवी
विश्व राम
जय देव ठाकुर
राजू स्वामि
नरेश राम
महेन्द्र आव


अंचल अधिकारी
टण्डवा

वन अधिकार समिति, कुमठागढ़ की बैठक की कार्यवाही

दिनांक- 16.2.18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन अधिकार समिति, कुमठागढ़

प्रखण्ड- टण्डवा की बैठक ग्राम- कुमठागढ़ में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों के विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम- धाना संख्या 51 निम्नांकित आरक्षित वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

धाना नं०	अध्यायना में याचित की गई भूमि का विवरणी (सर्वे 1934-35 के अनुसार)				हाल सर्वे 1964 के अनुसार अर्जन क्षेत्र में पडने वाले संगत (Corresponding) प्लॉट एवं भूमि विवरणी					किस्म	खतियानी रैयत का नाम		
	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)			खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)						
		RF	PF	J.J			पूर्व से सडक में निहित रकबा	वर्तमान में अर्जित योग्य	कुल				
51	1		6.83	1.09									
	2		22.28	18.76									
	3		13.98										
	4		6.49										
	10		4.69	2.84									
	207 P		29.25	7.20									
	208 P		22.16										
	203 P		2.43										
	211 P		0.85	0.24									

कुल रकबा 114.96 मे० 30.43 मे०

1. उपस्थिति-

अंचल अधिकारी
टण्डवा

- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- कुमठागढ़ में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- कुमठागढ़ में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3। (1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-~~कुमडांग बुई~~ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय संजमार्ग संख्या-~~ NBCC से निर्माण एवं कल वनन के विस्तार हेतु ग्राम-~~कुमडांग बुई~~ थाना सं. 51 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति ~~कुमडांग बुई~~ को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, ~~कुमडांग बुई~~ के सदस्यों का हस्ताक्षर

नाम


अंचल अधिकारी
टण्डवा

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

जगदीश प्रसाद साहू

लाल कुमार

देवनाथ प्रसाद

अमोल कुमार

दिनेश साहू

गोविंद कुमार साहू

Deepak Kumar

इन्द्रदेव साहू

आदित्य साहू

Satish Kumar

Sushil KUMAR

चिवरंज कुमार

दुर्लसी साहू

लाली मुखर्जी

रामचरण साहू

Badam. Kumar

हेमराज साहू

केशव साहू

चिन्तामन साहू

जगलाल साहू

विशुभ मुखर्जी

सतीश प्रसाद

P.T.O

कोषिचर साहु
कुंजल साहु
रामनन्दन साहु
अनन्त साहु
गन्दीरी साहु
धनन साहु
किशुन साहु
दामोदर साहु
महेन्द्र साहु
शिवदा साहु
अनन्त साहु
रघुवर साहु
सिन्हासाहु
अमित साहु
अनन्त साहु
श्री विन्दा साहु
नरेश साहु

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-~~विगलान~~ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय सज्जमान संख्या~~ के विस्तार हेतु ग्राम-~~विगलान~~ थाना सं. 119 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति ~~विगलान~~ को कोई आपत्ति नहीं है।

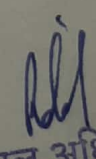
ग्राम वन अधिकार समिति, ~~विगलान~~ के सदस्यों का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

नाम

Pradeep Kumar
 Mahesh Kumar
 अशोक ६१९-
 २१२०११४
 Hemant Yadav
 midhun Dasgupta
 मरवन उराँव
 विजय अँव
 अंशु देवी
 धनेश्वर उराँव
 Kar kush das.
 रंजीत राम
 रंजीत राम
 पंचम २१९
 Gopal Das
 Harsh Kumar
 Rakesh Kumar
 अलाव ना दस

~~अंशु देवी~~
 Dipu Kumar.
 मदन राव
 रंजीत राम
 पंचम राम
 Anil kumar Dasgupta.
 राजेश राव
 अमर पारिवान


 अंचल अधिकारी
 टण्डवा

वन अधिकार समिति, 354 की बैठक की कार्यवाही

दिनांक- 19.2.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन अधिकार समिति,

प्रखण्ड- 354 की बैठक ग्राम- 354 में आहुत की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम 354 थाना संख्या 54 निम्नांकित आरक्षित वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

थाना नं०	अध्याचना में याचित की गई भूमि का विवरणी (सर्वे 1934-35 के अनुसार)				हाल सर्वे 1984 के अनुसार अर्जन क्षेत्र में पडने वाले संगत (Corresponding) प्लॉट एवं भूमि विवरणी				किस्म	खतियानी रैयत का नाम	
	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०) (Hq)			खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)				
		RF	PF	J.J (Hq)			पूर्व से सड़क में निहित रकबा	वर्तमान में अर्जित योग्य	कुल		
54	195			2.04							
	196			13.09							
	264			12.02							
	298			3.86							
	328			0.25							
	360			1.30							

कुल रकबा - 32.56 Hq

1. उपस्थिति-

1. नागा उराव
2. बंखन मुझा
3. फागुन
4. समान उराव
5. समान उराव
6. समान पादम
7. समान पादम

8. कजय देवी
9. सुरेश पासवान
10. मन्दीरा उराव

अंचल अधिकारी
टण्डवा

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- 354 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- 354 में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3। (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-उड्ड में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय संजमारी संस्था-उड्ड के विस्तार हेतु ग्राम-उड्ड थाना सं. 54 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति उड्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, उड्ड के सदस्यों का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

नाम

- 1) दीर्घ 3 रॉव
- 2) जांगा 3 रॉव
- 3) राजेंद्र 3 रॉव
- 4) रमन पासवन
- 5) मनोज 3 रॉव
- 6) विनोद 3 रॉव
- 7) शरणा 32 व
- 8) सुनली 32 व
- 9) जगन्नाथ 32 व
- 10) चंद्रक 32 व
- 11) मिर्जा 32 व
- 12) राम 32 व
- 13) खपन पासवन

अंचल अधिकारी
टण्डवा

गोपाल उड्ड

गोपाल उड्ड

विदेश उड्ड

मन्द विदेश उड्ड

विश्व लम

सुरेश उड्ड

अमदी मुराद
खपल पासवन

अध्याय 1 में वर्णित की गई भूमि का विवरण

प्लॉट नं०	प्लॉट नं०	बनभूमि (एकड़) (हेक्टर)	जंगल काटी (एकड़) (हेक्टर)
50	274	15.72	
	651	3.25	
	721	4.50	0.91
	722	18.79	
	724	3.80	0.68
	855	3.39	
	856	9.84	
	874	4.99	
	875	22.07	
	876	5.27	
	877	27.93	
	878	2.33	
	879 P		0.28
	799 P		0.62
	724 P	0.53	0.13
	875 P	0.92	
	876 P	1.82	
	845	0.15	
	651 P	0.28	
	649 P	0.04	0.16
	572 P		0.29
	कुल रकबा	125.62 हेक्टर	3.07 (हेक्टर)

Bill

प्रमोदशिव तापन

जीतनंद

हुलाश तापन

कोठुंगी मे भोगा

साकिन्दा यारव

आ 2ती द की

परिकल्पना

संभव भूइया

Rowanney yarey

नयली पर्व

अंचल अधिकारी
टण्डवा